दिनांक 24.04.2014 को विशेष सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों के विधि पदाधिकारी की बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्न पदाधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्री एम0के0 पाण्डेय, विधि पदाधिकारी, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
2. श्री दीपक कुमार, विधि पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. डा0 वाणी भूषण, विधि पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
4. डा0 विनय कुमार पराजित, विधि पदाधिकारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
5. डा0 आर0 एन0 ओझा, विधि पदाधिकारी, भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
6. डा0 सुरेन्द्र झा, विधि पदाधिकारी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
7. श्री रवि भूषण सहाय, नोडल पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।

कार्यवाही

1. विशेष सचिव महोदय द्वारा, पूर्व सूचना के वाबजूद तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, भूपेन्द्रनारायण मण्डल विश्वविद्यालय के विधि पदाधिकारियों की बैठक से अनुपस्थिति को काफी गंभीरता से लिया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव को इन विधि पदाधिकारियों के बैठक से अनुपस्थिति के संबंध में अवगत कराया जाय। साथ ही इनके विरूद्ध नियमानुकूल अग्रतर कारवाई करने हेतु पत्र लिखा जाय।
2. विशेष सचिव महोदय ने उपस्थित सभी विधि पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट का अवलोकन कर लें। सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित पत्राचार को विश्वविद्यालयवार वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आज की बैठक की जानकारी भी विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 12.04.2014 से ही उपलब्ध है।
3. बैठक में उपस्थित विधि पदाधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर यह निर्णय लिया गया कि विधिक मामलों की समीक्षात्मक बैठक अब माह में एक बार, प्रथम शुक्रवार को पूर्वाहन् 11.00 बजे से विशेष सचिव महोदय की अध्यक्षता में होगी। विशेष सचिव द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य कार्य के कारण पटना आने की स्थिति में, विश्वविद्यालय के विधि पदाधिकारी, विभागीय नोडल पदाधिकारी उच्च शिक्षा से अवश्य संपर्क कर लें ताकि न्यायिक मामलों का अनुश्रवण अच्छे ढंग से किया जा सके।

विशेष सचिव द्वारा सभी विधि पदाधिकारियों से यह अनुरोध किया कि विश्वविद्यालयों के अधिवक्ता को तथ्यविवरणी प्रेषित किये जाने के साथ–साथ उसकी एक प्रति विभागीय ई–मेल higherlegal2013@gmail पर अवश्य प्रेषित किया जाय। ताकि एक ही मामले में विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रखे जाने पर इनमें भिन्नता न रहे एवं माननीय न्यायालय में किसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना न करना पड़े। विश्वविद्यालय द्वारा दायर किये गये प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति भी विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया।

5/28/4

विशेष सचिव
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक 15-एम1-23/11/-829 पटना, दिनांक 28.4.2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति/कुलसचिव/विधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/28/4

विशेष सचिव
शिक्षा विभाग